भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2068
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना

†2068. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सहकारी समितियों के डिजिटल रूपांतरण और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए कोई नई योजनाएं अथवा नीतियां शुरू करने की कोई योजना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सहकारी समितियों को सशक्त करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही व सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अनेक पहलें की गई हैं जो **संलग्नक** में संलग्न हैं ।

(ख) सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों सहित सहकारी परितंत्र में डिजिटल रूपांतरण और आधुनिकीकरण के अनुसमर्थ में नई योजनाओं/पहलों की शुरूआत की है जिनका ब्योरा निम्नानुसार है:

i. पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना: भारत सरकार ने कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ लिंक करना है । ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाता है । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होता है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है ।

ii. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है ।

iii. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र के रूप में पैक्स: पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, इत्यादि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक कार्यालय ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है ।

iv. मंत्रालय की पहल पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का एक पोर्टल, अर्थात www.crcs.gov.in विकसित किया गया है जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया । इस पहल का लक्ष्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करके सीआरसीएस कार्यालय को डिजिटलीकृत और कागज रहित बनाना, बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को सरल करना और सीआरसीएस कार्यालय के कार्यकरण में पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि करना है । सीआरसीएस कार्यालय के सभी कार्य-प्रक्रियाएं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, उपविधियों का संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति करना, सहकारी शिक्षा निधि (CEF) और सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि (CRRDF) में ऑनलाइन भुगतान करना, इत्यादि शामिल हैं, को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है ।

v. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण: केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 को वर्ष 2023-24 से लेकर तीन वर्षों के लिए 94.59 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को अनुमोदित किया गया है । यह मंत्रालय की "आईटी इंटरवेंशंस द्वारा सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" अंब्रेला परियोजना का एक हिस्सा है । इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सहकारी समितियों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के साथ पारदर्शी और कागज रहित लेनदेन हेतु एक डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप होगा ।

vi. नाबार्ड ने अपनी विकासात्मक भूमिका के हिस्से के रूप में वर्ष 2011 में ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) में ऑनबोर्ड होने में सहायता प्रदान की थी । नाबार्ड द्वारा सुकर किए गए दो CBS क्लाउड की सेवाओं का उपयोग 211 ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है । वर्तमान में नाबार्ड इन बैंकों को अपनी CBS प्रणालियों को अद्यतित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है ।

vii. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), अर्थात नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) को भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के अंब्रेला संगठन (UO) के रूप में स्थापित किया गया है । इसका लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाते हुए उनके आईटी लागतों को उल्लेखनीय रूप से घटाने हेतु एक सशक्त और विश्वसनीय आईटी अवसंरचना प्रदान कर भारतीय शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर को डिजिटली रूपांतरित करके देश के वित्तीय सिस्टम में एक प्रमुख शक्ति बनाना है ।

viii. 'सहकारिता में सहकार' को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिले में एक पायलट परियोजना आरंभ की गई थी । इस परियोजना के घटकों में से एक घटक डेयरी सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम का वितरण करना और सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता एवं वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करना है । इस पायलट अवधि की सीख के आधार पर दिनांक 15 जनवरी, 2024 को गुजरात में एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत की गई । 'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया गया है । दिनांक 28.02.2025 तक 9915 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं ।

***